

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- महेश चन्द्र मान (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	अन्तिम निर्णय दिनांक
30/2017	13.02.2017	09.01.2018

उनवान

1. अमीचन्द पुत्र छाजू जाति गुर्जर निवासी खरोला, तहसील कोटकासिम हाल निवासी रसगन, तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0)

—: वादी

बनाम

1. घीसा पुत्र छाजू जाति गुर्जर निवासी खरोला, तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)
2. तहसीलदार, मुण्डावर जिला अलवर (राज0)
3. सब रजिस्ट्रार, मुण्डावर जिला अलवर (राज0)

—: प्रतिवादीगण

दावा— इश्तकरारहक बम्य हु0ई0 दवामी

—: अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादी की ओर से श्री गंगाराम पटेल एडवोकेट की उपस्थिति एवं प्रतिवादी सं0 01 की ओर से श्री मदनलाल सांवरिया एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 09.01.2018 को महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

“ मुताबिक कुर्रैजात प्रस्ताव ख0नं0 569/1 रकबा 0.56 है0, 609/0.39, 690/1 रकबा 0.70 है0 का वादी अमीचन्द को खातेदार काश्तकार एवं ख0नं0 569/2 रकबा 0.57 है0, 611/0.46, 645/0.25 एवं 690/2 रकबा 0.70 है0 का खातेदार प्रतिवादी घीसा का घोषित किया जाता है तथा ख0नं0 570 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 झेरा के वादी अमीचन्द व प्रतिवादी घीसा शामिलता में खातेदार काश्तकार रहेगे। इसी अनुसार पृथक=पृथक खातेजात कायम किये जावें। बैंक रहन की स्थिति में उभयपक्षकारान को प्राप्त होने वाले हिस्से रकबे से ही बैंक की ऋण राशि वसूलनीय रहेगी। कुर्रैजात प्रस्ताव प्रदर्श-अ निर्णय एवं अन्तिम पर्चा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। प्रतिवादीगण को हु0ई0दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी को रहन, बैय आदि प्रकार से मुन्तकिल ना करें।

खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करेगें।

आज तारीख 09.01.2018 को यह अन्तिम पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(महेश चन्द्र मान)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर  
जिला अलवर (राज.)